

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर
जिला हनुमानगढ

सोनू

बनाम

शिशपाल

किस्म मुकदमा , .88 .188. आर.टी.एक्ट. नम्बर 395 सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिधियल जज	नम्बर व तारिख
20.05.2022	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगोदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.07.2022 को पेश हो	
12/7/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् श्री. ओ. साहब ... पत्रावली दि. 14/7/22 को पेश हो।	
14/11/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् श्री. ओ. साहब ... पत्रावली दि. 2/03/23 को पेश हो।	
2/3/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् श्री. ओ. साहब ... पत्रावली दि. 19/7/23 को पेश हो।	
19/5/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् श्री. ओ. साहब ... पत्रावली दि. 2.01.6/23 को पेश हो।	
14/6/23	पत्रावली ^{आधीन} सोनू द्वारा आधीन पत्र स्वयं उपस्थित होकर उपर्युक्त कलक्टर के पास में ली गयी। आधीन के आधीन पत्र में निवेदन किया है कि आधीन अतुलनी दाय में कोई कामकाजी नहीं चाहता है। नगर की लाडील केस में पत्रावली ली गयी इसी स्टेज पर (अधीन प्रयोग) आधीन के आधीन पत्र से सीधे निष्कर्ष लगाया है वाद इसी स्टेज पर स्वयं निष्कर्ष लगाया है पत्रावली लगी है कम होकर दायिल स्फुल हो।	

सोनू
पट्टागर्ज
hinkman

उपखण्ड अधिकारी (नोहर (हनुमानगढ))